SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

छिजन – समस्या तथा समाधान

विद्यावती कुमारी, शोधार्थी, शिक्षा विभाग
राधागोविन्द विश्वविद्यालय, रामगढ़, झारखण्ड, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Author
विद्यावती कुमारी

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 27/03/2023
Revised on : -----
Accepted on : 03/04/2023
Plagiarism : 00% on 27/03/2023

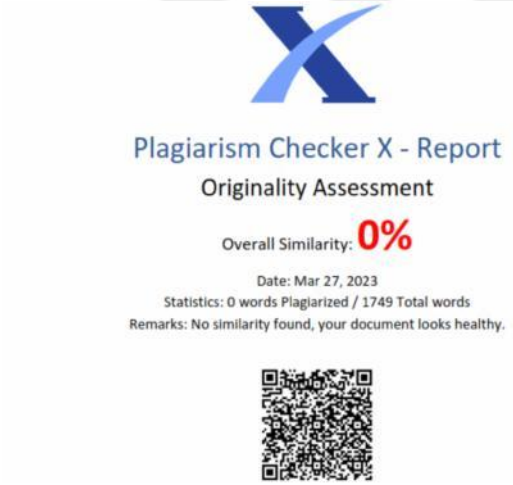

शोध सार

शिक्षा प्रत्येक मनुष्य के सम्पूर्ण विकास के लिए अति आवश्यक है। शिक्षा के महत्व को देखते हुए हमारे देश में विभिन्न प्रकार की शिक्षा सम्बन्धित नीतियाँ तथा अधिनियम बनाए गए हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम – 2009 के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके बाद उन्हें विभिन्न प्रकार की शिक्षा संबंधित सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। इसके बाबजूद बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं तथा वे छिजन के लिए बाध्य हैं। छिजन की समस्या हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है। यह समस्या सर्प के दंश के समान हमारे समाज तथा देश को बर्बादी की ओर अग्रसर कर रही है। सरकार भी इस समस्या के प्रति गंभीर है तथा इसके निराकरण के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय पर ध्यान दे रही है।

मुख्य शब्द

छिजित, संवर्धन, पाठ्येत्तर.

परिचय

शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने का एक साधन है। शिक्षा न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देती है। सार्वभौमिक उच्चतर स्तरीय शिक्षा वह उचित माध्यम है, जिससे देश की समृद्ध प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम विकास और संवर्धन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई के लिए किया जा सकता है। रोजगार और वैश्विक परिस्थितिकी में तीव्र गति से आ रहे। परिवर्तनों की वजह से यह जरूरी हो गया है कि बच्चे शिक्षा से जुड़े तथा सतत् कुछ सीखते रहने की कला भी सीखें। भारत के युवाओं को भारत देश के बारे में और इसकी विविध सामाजिक, सांस्कृतिक, और तकनिकी आवश्यकताओं को जानना आवश्यक है। यहाँ की कला, भाषा और परंपराओं का

ज्ञान राष्ट्रीय गौरव, आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, परस्पर सहयोग और एकता की दृष्टि से परम् आवश्यक है।

शिक्षा के महत्व को देखते हुए हमारे देश में समय–समय पर विभिन्न प्रकार की शिक्षा संबंधित नीतियाँ तथा अधिनियम बनाए गए हैं। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 1968 के अनुसार 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य रखा गया और शिक्षकों के बेहतर प्रशिक्षण तथा योग्यता पर फोकस किया गया। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा, नीति, 1986 के अनुसार समान शैक्षिक अवसर प्रदान करने पर बल दिया गया। इस नीति का उद्देश्य असमानताओं को दूर कर महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए समान शैक्षिक अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का प्रारंभ तथा इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली का विस्तार किया गया। तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 प्रारंभिक बाल्यावस्था से लेकर उच्चतर शिक्षा तक को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न योजनाओं का निर्माण किया गया।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम – 2009 के अनुसार सभी जातियों के बालक तथा बालिकाओं को जो 6 से 14 वर्ष के हो उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र मे विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। जैसेः

- यदि कोई बच्चा ऐसा है, जो 6 वर्ष की आयु पर किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले सका है तो वह बालक बाद में अपनी उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश ले सकता है। यदि वह निर्धारित 14 वर्ष की आयु तक प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाता है, तो उसके बाद भी वह पढ़ाई पूरी होने तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करता रहेगा।
- बच्चे को दूसरे विद्यालय में स्थानान्तरण का अधिकार होगा। राज्य सरकारों और स्थानीय पदाधिकारियों को विद्यालय स्थापित करने का अधिकार दिया गया ताकि जहाँ विद्यालय नहीं है वहाँ विद्यालय का निर्माण हो सके।
- वित्तीय तथा अन्य उत्तरदायित्व केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच बंटवारा किया गया।
- विद्यालयों के कामकाज की निगरानी के लिए स्थानीय पदाधिकारियों के कर्तव्य निर्धारित किए गए।
- माता–पिता और संरक्षक का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया कि वे 6–14 वर्ष तक के अपने बच्चों को विद्यालय पढ़ने के लिए जरूर भेजें।
- सरकारी विद्यालय तो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे ही और साथ ही निजी और विशेष श्रेणी वाले विद्यालय को भी आर्थिक रूप से निर्बल समुदाय के बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने होंगे।
- सरकारी विद्यालय ना तो दान याचना लेगा और ना ही बच्चे के चयन के लिए कोई प्रणाली अपना सकेगा।
- जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जाएगा।
- किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा और न ही स्कूल से निष्कासित किया जा सकता है।
- बालक को किसी भी प्रकार की शारीरिक और मानसिक यातनाएँ विद्यालय में नहीं दी जाएगी।
- बिना मान्यता प्राप्त किए कोई भी स्कूल नहीं चलाया जाएगा और उन स्कूलों को मान्यता दी जाएगी जो धारा 19 में वर्णित मानक पूरे करते हो।
- विद्यालय में विद्यालय प्रबन्धन समिति का गठन किया जाना जिसमें जनप्रतिनिधि, अभिभावक और शिक्षक शामिल होंगे। यह समिति स्कूल के काम–काज को मॉनिटर करेगी।
- छात्र शिक्षक अनुपात – 1 शिक्षक पर 40 छात्र होगा।
- शिक्षकों के रिक्त पदों को भरा जाएगा।
- शिक्षकों के गैर शैक्षणिक कार्यों में संलिप्तता को रोका जाएगा।
- पाठ्यक्रम को सरल, बहुमुखी बनाते हुए मूल्यांकन को सतत् तथा व्यापक बनाया जाएगा।
- राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के द्वारा इस अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों का परीक्षण तथा देखभाल

किया जाएगा।

- इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए केन्द्र में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् तथा राज्य में राज्य सलाहकार परिषद् का गठन करेगी।

उपरोक्त राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों तथा अधिनियमों के निर्माण के बाबजूद हमारे देश में छिजन की समस्या बहुत गंभीर है। छिजन की समस्या को रोकने अथवा कम करने के लिए की शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 में विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए हैं ताकि सभी बच्चे अपने प्रारंभिक शिक्षा को पूरी कर सकें। फिर भी देखा जा रहा है कि बच्चे बीच में ही अपनी पढ़ाई अधूरा छोड़कर छिजन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बच्चों की छिजित होने के अलग–अलग कारण हो सकते हैं जिनमे कुछ निम्नलिखित हैं:

1. विद्यालय में आधारभूत संरचना की कमी
2. यातायात के साधनों का आभाव
3. आजीविका की समस्या
4. बाल मजदूरी की समस्या
5. अभिभावकों में जागरूकता की कमी
6. शिक्षकों की कमी
7. सरकारी विद्यालयों की खराब गुणवत्ता
8. कोरोना महामारी के कारण छिजन
9. विकलांगता तथा अस्वस्थता के कारण छिजन
10. परीक्षा में असफल होने के कारण छिजन
11. बाल विवाह के कारण छिजन
12. ट्रैफिकिंग

यदि हम अंकड़ो पर ध्यान दे तो पाएँगे कि भारत में छिजन की समस्या बहुत पुरानी है जो आज तक समाप्त नहीं हुई है। भारत में यदि 100 छात्र प्राथमिक विद्यालय में नामांकन करवाते है तो औसतन केवल 70 छात्र 12वीं कक्षा तक कि शिक्षा पूरी कर पातें हैं, शेष 30 छात्र छिजित हो जाते हैं। हमारे झारखंड में छिजन का दर सबसे अधिक है। 100 छात्र में केवल 30 छात्र ही 12वीं कक्षा तक अपनी पढ़ाई पूरी कर पाते हैं, शेष 70 छात्र छिजित हो जाते है। भारत में शैक्षणिक वर्ष 2021–22 में प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) में छिजन की दर 1.5 प्रतिशत हो गई जो 2020–21 में 0.8 प्रतिशत थी। उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6–8) में छिजन दर वर्ष 2020–21 की 1.9 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2021–22 में 3 प्रतिशत हो गई है। पिछले तीन वर्षों में उच्च प्राथमिक स्तर पर छिजन का दर सबसे अधिक पाया गया। यह छिजन दर वर्ष 2019–20 में 2.6 प्रतिशत थी जो वर्ष 2020–21 में 1.9 प्रतिशत हुई तथा वर्ष 2021–22 में 3 प्रतिशत हो गई। माध्यमिक स्तर पर छिजन दर वर्ष 2020–21 में 14.6 प्रतिशत थी जो की घटकर वर्ष 2021–2022 में 12.6 प्रतिशत हो गई है।

भारत सरकार की राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा सांसद में प्रस्तुत किए गए रिपोर्ट के अनुसार, पिछले चार वर्षों में बालिकों के छिजन दर में कमी आई है। उनके अनुसार वर्ष 2017–18 में जहाँ माध्यमिक स्तर पर बालिकों का छिजन दर 18.4 प्रतिशत था, वह घटकर वर्ष 2020–21 मे 13.7 प्रतिशत हो गया है। प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2017–18 में यह छिजन दर 3.3 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2020–21 में 0.7 प्रतिशत रह गई है तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2017–18 में यह दर 5.6 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2020–21 मे 2.6 प्रतिशत हो गया है। अन्नपूर्णा देवी ने बालिकाओं के छिजन दर को घटने का श्रेय समग्र शिक्षा अभियान को दिया है जिसने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधायें उन्हें उपलब्ध कराई है जैसे कक्षा 8 तक मुफ्त पोशाक तथा पुस्तक, अलग शौचालय, आत्मरक्षा ट्रेनिंग, छात्रवृति, व्यवसायिक तथा जीवन कौशल उन्नयन संबंधित ट्रेनिंग, कस्तुरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय की स्थापना इत्यादि। यूनिसेफ के सर्वे के अनुसार 2.5 प्रतिशत लडकियों के छिजन का कारण उनका शादी हो जाना तथा 33 प्रतिशत लड़कियों के छिजन का कारण उन्हें घरेलू कार्यों में संलिप्त कर देना है।

बच्चों के छिजन को रोकने के उपाय

प्रत्येक वर्ष पुरे विश्व में लगभग 1 मिलियन बच्चे माध्यमिक स्तर की पढ़ाई पूरा किए बिना विद्यालय छोड़ देते

है तथा कम वेतन की नौकरी तथा लम्बे समय की गरीबी को झेलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। शिक्षक या उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा छिजन को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैः

1. विद्यालय के बाहर अभिभावकों से संपर्क करना तथा उन्हें बच्चों के शिक्षा के प्रति जागृत करना।
2. छिजन की ओर अग्रसर होते बच्चों से संपर्क स्थापित करना तथा उनकी समस्याओं के सामाधान की योजना बनाना और उनपर विशेष ध्यान देना।
3. बच्चों को पाठ्येत्तर गतिविधि (जैसेः खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि) में शामिल करना जिससे उनका विद्यालय से संपर्क बना रहे।
4. बच्चों को नियमित सलाहकार के संपर्क में रखना।
5. शिक्षा के खर्च को कम करना।
6. विद्यालय अनुसूची को लचीला बनाना।
7. मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने में मदद करना।
8. विभिन्न क्षेत्रों में करियर तथा वेतन की जानकारी उपलब्ध कराना।
9. ट्यूटर उपलब्ध कराना जो कि सीनियर बच्चे हो सकते है।
10. उनके पाठ्यचर्या में वास्तविक दुनिया से संबंधित बातों को शामिल करना।

निष्कर्ष

सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं जैसे :– कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय की स्थापना, एकलव्य विद्यालय की स्थापना, मिड–डे–मिल योजना की शुरूआत, समेकित शिक्षा योजना की शुरूआत इत्यादि छिजन को रोकने के ही विभिन्न प्रयास हैं जिसमें सरकार सफल भी हो रही है। विभिन्न प्रकार के गैर–सरकारी संगठन भी छिजन को रोकने के लिए प्रयासरत् हैं। छिजन की की समस्या मानव संसाधन के विकास में सबसे बड़ी बाधक है। यह सरकार तथा समाज के लिए एक अतिरिक्त बोझ है। इससे समाज तथा देश के उज्जवल भविष्य के निर्माण में बाधा पहुँचती है। अतः छिजन का उन्मुलन होना बहुत आवश्यक है।

संदर्भ सूची

1. https://www.education.gov.in
2. निः शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 भारत सरकार।
3. https://www.turnthepus.org/blog
4. https://www.inpirajournals.com

****